चेहरे का परदह
मुस्तहब या वाजिब?
मुहम्मद इकबाल कीलानी
मकतबा अलफहीम
مکتبۃ الفہیم
मऊनाथ भंजन-उ.प्र.

चेहरे का परदह

मुस्तहब या वाजिब?

मुहम्मद इकबाल कीलानी

MAKTABA AL-FAHEEM
Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email :faheembooks@gmail.com
WWW.faheembooks.com

पुस्तक का नाम : चेहरे का परदह मुस्तहब या वाजिब?

लेखक : मुहम्मद इकबाल कीलानी

अनुवाद : फहद ख़ुर्शीद

प्रकाशन वर्ष : 2012

कम्पोज़ : अलफहीम कम्प्यूटर

प्रकाशक : मकतबा अलफहीम मऊ

MAKTABA AL-FAHEEM
Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email : maktabaalfaheemmau@gmail.com
WWW.faheembooks.com

पेश लफ्ज़

मौजूदा दौर की नाम नेहाद रोशन ख़्याली और एतेदाल पसंदी की तहरीक ने जहां इस्लाम की दीगर अकदार को निशान-ए-तज़हीक बनाया है वहां हिजाब और दाढ़ी को सरे फेहरिस्त रखा है। रौशन ख्याल और एतेदाल पसंद हज़रात के नज़दीक दाढ़ी और हिजाब दोनों जेहालत और पसमांदगी की अलामत हैं।

हेजाब शरीअत-ए-इस्लामिया का एक अहम तरीन हुक्म है जिसका मकसद मुआशरे को सन्फी जज़बात के हैजान से पाक और साफ रखना है। इस हुक्म पर अमल करने से मुआशरा एक नहीं अनगिनित फित्नों से महफूज़ हो जाता है जबकि इस हुक्म की ख़िलाफवर्ज़ी के नतीजे में ऐसे-ऐसे अलमनाक और ज़हर आलूद फित्ने जन्म लेते हैं जिसका तदारूक करना माता-पीता के बस की बात नहीं रहती। जहां तक अहले ईमान ख्वातीन का तअल्लुक है वह तो हर हाल में अल्लाह और इसके रसूल के (स.अ.व.) के हर हुक्म पर बरेज़ा व रगबत अमल करती हैं और ऐसे घ़रानों की ख़्वातीन घरों के अन्दर सतर और घरों के बाहर हेजाब के एहकाम पर न सिर्फ़ खुशदिली से अमल करती हैं बल्कि इस पर किसी किस्म की खिफ्फत या नदामत महसूस नहीं करतीं और अल्लाह तआला और इसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में फख्र महसूस करती हैं। अल्बत्ता-जिन घरानों में ज़ोफे ईमान या इल्म की कमी है वहां रौशन ख्याली और एतेदाल पसन्दी का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा ज़रूर असरअंदाज़ होता है।

हेजाब के मुस्तहब या वाजिब होने की मौजूदा बहस ने इसी रौशन ख्याली और एतेदाल पसन्दी की तहरीक से ज़ोर पकड़ा है। अहले इल्म के नज़दीक हेजाब के हुक्म पर अमल करना वाजिब है, मुस्तहब नहीं है

जिसका मतलब यह है कि गैर महरम मर्दों के सामने बिना हिजाब आने वाली औरत गुनहगार होगी और कयामत के रोज़ सज़ा की मुस्तहिक ठहरेगी।

मुवल्लिफ ने कुरआन व हदीस की रोशनी में अपने इल्म के मौफिक को उजागर करने की कोशिश की है। कुरआन व हदीस के दलायल के अलावा मुख़तलिफ मसालिक से तअल्लुक रखने वाले उलेमा-ए-किराम के फतावे भी दिये हैं जिससे वजूबे हिजाब का मुअक्किफ मज़ीद कवी हो जाता है।

आखिर में मुवल्लिफ ने हिजाब को मुस्तहब करार देने वाले वाजिबुलऐहतिराम उलेमा-ए-किराम के दलायल का भी जाएज़ा लिया है जिन्हें पढ़कर कारईन-ए-किराम ब-आसानी यह अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि हिजाब को मुस्तहब करार देने का मुवक्किफ किस कदर कमज़ोर और ज़ईफ है।

मुसलमान ख्वातीन की अज़मत व इफ्फत के तहफ्फुज़ के लिए हिजाब एक किला की हैसियत रखता है, लिहाज़ा इस दौरेपुरफितन में अहले ईमान को सख्ती से इस किले की हिफाज़त करनी चाहिए और अपने गिर्दोपेश रौशन खयाली और ऐतेदाल पसन्दी के गुमराहकुन प्रोपेगंडे से मुतअस्सिर होने वाले मुसलमानों को भी इसका एहसास दिलाना चाहिए। अल्लाह तआला हमें हक को हक समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए- आमीन!

﴿اَللّٰهُ يَجْتَبِىٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ﴾

अबू मैमून हाफिज़ आबिदइलाही
मदीर मकतबा बैतुस्सलाम
अलरियाज़, सऊदी अरब

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَنَسْتَعِیْنُہٗ وَنَسْتَغْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنَتَوَکَّلُ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ
بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَیِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یَّھْدِہِ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ
وَمَنْ یُّضْلِلِ اللّٰہُ فَلَا ھَادِیَ لَہٗ وَاَشْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یٰاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُیُوْتَ النَّبِیِّ اِلَّآ اَنْ
یُّؤْذَنَ لَکُمْ اِلٰی طَعَامٍ غَیْرَ نٰظِرِیْنَ اِنٰىہُ وَلٰکِنْ اِذَا دُعِیْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِیْنَ لِحَدِیْثٍ اِنَّ ذٰلِکُمْ کَانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ
فَیَسْتَحْیٖ مِنْکُمْ وَاللّٰہُ لَا یَسْتَحْیٖ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْھُنَّ مَتَاعًا
فَسْـَٔلُوْھُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِکُمْ اَطْھَرُ لِقُلُوْبِکُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ﴾

"ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो! जब तुम्हें खाने के लिए बुलाया जाए तो नबी के घर में बिला इजाज़त न चले आओ न ही ऐसे वक्त आओ कि खाना पकने का इंतज़ार करना पड़े। जब तुम्हे बुलाया जाए तो आओ और जब खाना खा चुको तो उठ कर चले जाओ और बातों में न लग जाओ तुम्हारा यह तरीका नबी को तकलीफ देता है, लेकिन वह तुम्हें (रोकते हुए) शर्माता है जबकि अल्लाह तआला हक बात कहने से नहीं शर्माता और जब तुम (यानी सहाबा-ए-किराम र.त.अन्हुम) नबी की बीवियों से कोई चीज़ मांगना चाहो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो तुम्हारे और इनके (यानी अज़वाजे मुतहरात र.त.अन्हुमा) दिलों की पाकीज़गी के लिए यही तरीका बेहतर है।" *(सूर:अहज़ाब-५३)*

आयतेकरीमा का शानेनुज़ूल यह है कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत ज़ैनब

(र.त.अ.) के वलीमा पर नबी अकरम (स.अ.व.) ने लोगों को दावत दी, खाने से फरागत के बाद कुछ लोग बातें करने लगे। रसूले अकरम (स.अ.व.) उठने के लिए तैयार हुए, लेकिन लोग फिर भी बैठे रहे आप (स.अ.व.) उठ कर अन्दर तशरीफ ले गए, कुछ देर बाद आप (स.अ.व.) वापस तशरीफ लाए तो तीन आदमी उस वक्त भी गुफ्तगू में मशगूल थे। यह देख कर आप (स.अ.व.) फिर वापस पलट गये। कुछ देर बाद आप (स.अ.व.) को इत्तेला दी गई कि लोग उठ कर चले गए हैं तब आप वापस तशरीफ लाए। हज़रत अनस (र.त.अ.) कहते हैं कि वापस तशरीफ लाने के बाद आप (स.अ.व.) का एक पांव दरवाज़े की चौखट के अन्दर था और दूसरा बाहर था आप (स.अ.व.) ने मेरे और अपने दरम्यान पर्दा लटका दिया क्योंकि इसी वक्त अल्लाह तआला ने पर्दे का हुक्म नाज़िल फरमाया था। *(बुखारी)*

इस आयत की तफ्सीर करते हुए तैसीरूल कुरआन के मुफस्सिर मौलाना अब्दुर्रहमान कीलानी (रह.) लिखते हैं "यही वह आयत है जिसे आयते हिजाब कहा जाता है हिजाब के माना किसी कपड़े या दूसरी चीज़ से दो चीज़ों के दरम्यान ऐसी रोक बना देना जिससे दोनों चीज़ें एक दूसरे से ओझल हो जाएं इस आयत की रू से तमाम अज़वाजुन्नबी के घरों के बाहर पर्दा लटका दिया गया फिर दोसरे मुसलमानों ने भी अपने घरों के सामने पर्दा लटका दिए और यह दस्तूर इस्लामी तर्ज़ेमुआशेरत का हिस्सा बन गया।" *(तैसीरूल कुरआन जिल्द सोम-सफा-६०६)*

मआरिफुल कुरआन के मुफस्सिर मुफ्ती मुहम्मद शैफी (रह.) ने इस आयत की तफ्सीर में यह वज़ाहत भी की है कि आयत में सबबे नोज़ूल के वाकिआ की बिना पर खास अज़वाजे मुतहरात का ज़िक्र है मगर हुक्म सारी उम्मत के लिए आम है। *(मआरिफुलकुरआन जिल्द-१० सफा-२००)*

सूरःअहज़ाब की एक दूसरी आयत में इरशाद-ए-मुबारक है:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً

"ऐ नबी! अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनों की औरतों से कहो कि अपनी चादरों के पल्लू अपने ऊपर लटका लिया करें यह ज़्यादा मुनासिब तरीका है कि वह पहचान ली जाएं और सताई न जाएं अल्लाह गफूरुर्रहीम है। *(सूरः अहज़ाब आयत-५९)*

आयतेकरीमा की तफ्सीर में चन्द मशहूर मुफस्सेरीन की तफ्सीर दर्जज़ैल है:

१. हज़रज अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि. फरमाते हैं:

"इस आयत में मोमिन औरतों को हुक्म दिया गया है कि वह जब किसी ज़रूरत के लिए घर से निकलें तो सर के ऊपर अपनी चादर लटका कर अपने चेहरे ढांप लिया करें और सिर्फ़ एक आँख (रास्ता देखने के लिए) खुली रखें *(इब्ने कशीर उर्दू जिल्द चहारूम सफा- ३६)*

२. (हज़रत अली रजी.) के शागिर्द हज़रत ओबैदा सुलैमानी (रजी.) से इस आयत का मफहूम दर्याफ्त किया गया तो उन्होंने:

"चादर से अपना चेहरा और सर ढांप लिया सिर्फ़ बायीं आँख खुली रखी।" *(इब्ने कशीर जिल्द चहरूम सफा ३६)*

३. इमाम इब्ने जरीर तबरी (र.अ.) फरमाते हैं:

"इस आयत में शरीफ औरतों को हुक्म है कि वह लौंडियों की तरह खुले चेहरे और खुले बालों के साथ घर से न निकलें।" *(जरीर)*

४. इमाम राज़ी (र.अ.) इस आयत की तफ्सीर में लिखते हैं:

"ज़माने जाहिलियत में शरीफ औरतें और लौंडियां सब मुँह खोल कर फिरती थीं, बदकार लोग उनका तआकुब करते थे, अल्लाह तआला ने शरीफ औरतों को हुक्म दिया कि वह अपने ऊपर चादर डाल लें और यह जो फरमाया "कि यह मुनासिब तरीका है कि

वह पहचान ली जाएं।'' इसके दो मतलब हैं। एक यह कि इनके लिबास से पहचान लिया जाए कि वह शरीफ औरतें हैं इसलिए इनका पीछा न किया जाए। दूसरा मतलब यह है कि इससे मालूम हो जाए कि वह बदकार नहीं क्योंकि जो औरत अपना चेहरा छुपाएगी इससे कोई यह उम्मीद न रखे कि वह अपनी शर्मगाह खोलने पर आमादा होगी।'' *(तफ्सीर कबीर बहवाला इस्लामी खुतबात अज़ मौलाना अब्दुस्सलाम बस्तवी र.अ.)*

५. अल्लामा निज़ामुद्दीन निसापुरी (र.अ.) इस आयत की तफ्सीर में लिखते हैं कि:

''शुरू इस्लाम में औरतें ज़माने जाहिलियत की तरह सिर्फ़ कमीज़ और दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकला करती थीं। शरीफ औरतें और लौंडियों में कोई फर्क न था फिर यह हुक्म दिया गया कि शरीफ औरतें चादर ओढ़कर सर और चेहरों को छुपा कर बाहर निकलें ताकि पहचानी जा सकें कि वह शरीफ ज़ादियां हैं, बदकार नहीं, क्योंकि जो चेहरे को छुपाएगी वह कभी अपनी शर्मगाह खोलने पर आमादा नहीं होगी वह ज़रूर अपनी इस्मत की हिफाज़त करेगी, लिहाज़ा उन्हें कोई नहीं सताएगा।'' *(गराएबुल कुरआन बहवाला इस्लामी खुतबात अज़ मौलाना अब्दुस्सलाम बस्तवी र.अ.)*

६. अल्लामा अबू बकर जसास (र.अ.) फरमाते हैं:

''यह आयत इस बात पर दलालत करती है कि जवान औरत को अपना चेहरा छुपाने का हुक्म है।'' *(तफहीमुलकुरआन जिल्द चहारुम सफा-१३०)*

७. अल्लामा ज़मख़शरी (र.अ.) फरमाते हैं:

''इस आयत में हुक्म है कि औरतें अपनी चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें और इससे अपने चेहरे और अतराफ को अच्छी

तरह ढांप लिया करें।" *(तफहीमुलकुरआन जिल्द चहारुम सफा-१३०)*

८. अल्लामा इब्ने जौज़ी (र.अ.) फरमाते हैं कि:

"इस आयत में औरतों को हुक्म है कि वह अपने सरों और चेहरों को छुपाएं।" *(मुसलमान औरतों के फिक्ही मसाइल अज़ अब्दुलगफ्फार मदनी सफा-१४७)*

९. अल्लामा अबू हय्यान (र.अ.) इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि:

"औरत अपने तमाम जिस्म को छुपाएगी और عليهن से मुराद على وجوههن है यानी अपने चेहरे को भी छूपाएंगी। *(मुसलमान औरतों के फिक्ही मसाइल अज़ अब्दुलगफ्फार मदनी सफा-१४७*

१०. इमाम अबू बकर राज़ी (र.अ.) फरमाते हैं:

"इस आयत में वाज़ेह दलील है कि औरत अपने चेहरे को छुपाए रखे ताकि गलत किस्म के लोग तमअ न कर सकें।" *(रवाउलब्यान लिलसाबुनी२/३८२ मुसलमान औरतों के फिक्ही मसाइल अज़ अब्दुलगफ्फार मदनी सफा-१४७)*

११. आयत से मुराद यह है कि औरतें चादरों से अपना चेहरा और सीना ढांप लें। *(तैसीरूलकरीमुलरहमान फी तफसीर कलामुलमन्नान अज़ अब्दुर्रहमान बिन नासिरूस्सादी र.अ. सफा-६७२)*

१२. "इस आयत में यह हिदायत की गई है कि मुसलमान ख्वातीन घरों से बाहर निकलें तो चादर का कुछ हिस्सा अपने ऊपर लटका लिया करें ताकि चेहरा भी फिलजुम्ला ढक जाए।" *(तदब्बुर कुरआन अज़ मौलाना अमीन अहसन इस्लाही जिल्द पंजुम सफा-२६६)*

१३. "कोई माकूल आदमी इस आयत का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं ले सकता कि इससे मकसूद घूंघट डालना है ताकि जिस्म और लिबास की ज़ीनत छिपने के साथ-साथ चेहरा भी छिप जाए।" *(तफ्हीमुलकुरआन अज़ सैय्यद अबुलआला मौदूदी र.अ. जिल्द चाहरूम सफा-१३१)*

१४. "इस आयत में ब-सराहत चेहरे को छिपाने का हुक्म दिया गया है।" *(मआरिफुलकुरआन अज़ मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी र.अ. जिल्द हफतुम सफा-२४४)*

१५. "आयत का मतलब यह है कि औरतें चादरों का घुंघट ऊपर से डाल लिया करें यानी सारा चेहरा छिपा लिया करें सिर्फ एक आँख खुली रहने दें।" *(इब्ने जरीर बहवाला अशरफुलहवाशी अज़ शैखुलहदीस हज़रत मौलाना मुहम्मद अब्दुह फलाह र.अ. सफा- ५१०)*

१६. "इरशाद का मतलब यह है कि औरतें बदन ढांपने के साथ चादर का कुछ हिस्सा सर से नीचे चेहरा पर भी लटका लेवें।" *(तफसीर अज़ हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी सफा-५६८)*

१७. "अपने ऊपर चादर लटकाने से मुराद अपने चेहरे पर इस तरह घुंघट लटकाना है जिससे चेहरे का बेश्तर हिस्सा भी छिप जाए और नज़रें झुका कर चलने से रास्ता भी नज़र आए।" *(अहसनुलबयान अज़ हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ सफा-५८८)*

१८. "चादर लटकाने का माना सर से नीचे लटकाना है जिसमें चेहरे का पर्दा खुद बखुद आ जाता है।" *(तैसीरूल कुरआन अज़ मौलाना अब्दुर्रहमान कीलानी जिल्द सोम सफा ६११)*

मज़कूरा बाला आयात की तफ्सीर में तमाम मुफस्सेरीन ने पर्दा के लिए "हुक्म" का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। सवाल यह है क्या "हुक्म" का लफ्ज़ मुस्तहब के लिए इस्तेमाल होता है या वाजिब के लिए? जब यह कहा जाता है कि कुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है तो क्या इसका मतलब यह है कि नमाज़ पढ़नी मुस्तहब है जो चाहे पढ़े जो चाहे न पढ़ें।?

अहले ईमान के लिए तो "हुक्म" का लफ्ज़ ही पर्दे को वाजिब करार देने के लिए काफी है।

अहादीस-ए-मुबारक में पर्दे का हुक्मः

पर्दे के बारे में रसूले करीम (स.अ.व.) की चन्द अहादीस-ए-मुबारक पेशे खिदमत हैं जिनसे न सिर्फ चेहरे का पर्दा साबित होता है बल्कि अज़ अहादीस से पर्दा न करने वाली खातून का गुनहगार होना भी साबित है।

१. आप (स.अ.व.) का इरशादे मुबारक है "एहराम वाली औरत निकाब और दस्ताने इस्तेमाल न करे।" *(तिर्मीज़ी, अबवाबुलहज, बाब माजाअ फिमालायजुज़ह लिबासा)*

हालते एहराम में चेहरा पर नकाब न डालने का हुक्म इस बात का वाज़ेह सुबूत है कि गैर एराम हालत में औरत को चेहरे पर निकाब डालने का हुक्म है।

२. इरशाद नबवी (स.अ.व.) है "जब कोई शख्स किसी औरत से निकाह का इरादा करे तो उसे चाहिए कि अगर मुमकिन हो तो उस चीज़ को एक नज़र देख ले जो उसे रागिब करने वाली है।" *(अबूदाऊद, किताबुन्निकाह, बाब फिर्रजुलए यनजुर इललमरात हुव यरीदु तज़वीजेहा)*

ज़ाहिर है कि मर्द को शादी के लिए रागिब करने वाली चीज़ औरत का चेहरा ही है। आप (स.अ.व.) का यह फरमाना कि अगर मुम्किन हो तो उसका चेहरा देख लो यह वाज़ेह कर रहा है कि औरत का चेहरा देखना (पर्दा की वजह से) है तो नामुम्किन लेकिन अगर किसी तदबीर से यह मुम्किन हो तो देख लेना चाहिए ताकि बाद में कोई कबाहत पैदा न हो।

३. आप (स.अ.व.) ने फरमाया "जो शख्स तकब्बुर से अपनी चादर लटकाएगा अल्लाह तआला कयामत के रोज़ उसकी तरफ नज़रे रहमत नहीं फरमाएंगे। हज़रत उम्मे सलमा (र.त.अन्हा) ने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह (स.अ.व.) फिर औरतें अपनी चादरें किस हद तक लटकाएं," आप (स.अ.व.) ने फरमाया "औरतें

मर्दों से बालिश्त भर ज़्यादा लटका लिया करें।" हज़रत उम्मे सलमा (र.त.अन्हा) ने अर्ज़ किया "इस तरह तो इनके पांव की पुश्त नंगी हो जाएगी।" आप (स.अ.व.) ने इरशाद फरमाया "तो फिर एक हाथ के बराबर लटकाया करें इससे ज़्यादा नहीं।" *(तिर्मीज़ी, अबवाबुल्लिबास, बाब माजाअ फीजर्रीज़ुलनिसा)*

रसूले अकरम (स.अ.व.) के इस इरशादे मुबारक की रोशनी में अहले इल्म ने औरत के पांव की पुश्त को सतर में शामिल किया है। *(मुलाहेज़ा हो फतावा अहले हदीस हाफिज़ अब्दुल्लाह मुहद्दिस रोपड़ी जिल्द दोम सफा ४८२, नीज़ शरह बुलूगुलमराम अज़ मौलाना सफीउर्रहमान मुबारक पूरी र.अ. मतबूआ दारूस्सलाम अलरियाज़ जिल्द अव्वल सफा-१५७)*

गौर फरमाइए! जिस शरीअत ने पांव की पुश्त नंगा करने की इजाज़त नहीं दी वह चेहरा नंगा करने की इजाज़त कैसे दे सकती है? पांव की पुश्त की निस्बत चेहरा का फित्ना तो कहीं बड़ा फित्ना है।

४. आप (स.अ.व.) का इरशाद मुबारक है "गैर महरिम (मर्द का औरत को या औरत का मर्द) को देखना आँख का ज़िना है।" *(बुखारी, किताबुलइस्तेज़ान, बाबुज़्ज़ेना अल्जवारेह दूनलफर्ज)*

जिस शरीअत ने गैर महरिम औरत का चेहरा देखने को आँख का ज़िना करार दिया है क्या वही शरीअत चेहरा को नंगा रखने की इजाज़त दे कर इस ज़िना को आम करने की इजाज़त दे सकती है? बिला शुब्हा गैर महरिम औरत को देखने वाला मर्द भी गुनहगार है लेकिन वह औरत जो नंगे चेहरे के साथ घर से बाहर निकल कर गैर महरिम मर्दो को दवते गुनाह देगी क्या वह गुनहगार नहीं होगी?

५. आप (स.अ.व.) का इरशाद मुबारक है "औरत का सारा जिस्म सतर है। *(तिर्मीज़ीए अबवाबुर्रेज़ाअ, बाब इस्तसराफुलशैतान अलमराअत एज़ा खजत)*

ज़ाहिर है सारे जिस्म में चेहरा भी शामिल है, लिहाज़ा जिस तरह

चेहरे के अलावा बाकी सतर को ज़ाहिर करने वाली औरत गुनहगार होगी इसी तरह अपने चेहरे को ज़ाहिर करने वाली औरत भी गुनहगार होगा।

६. आप (स.अ.व.) का इरशाद मुबारक है "मेरे बाद मर्दों के लिए तमाम फित्नों से बढ़कर फित्ना औरतों का है।" (बुखारी किताबुन्निकाह, बाब मायत्तकी मिन शउमुलमरात)

गौर फरमाइए! औरत खुले चेहरे के साथ फित्ना है या ढके चेहरे के साथ? यकीनन खुले चेहरे के साथ। तो फिर खुले चेहरे के साथ घर से बाहर निकल कर मर्दों के लिए फित्ना बनने वाली औरत गुनहगार क्यों न होगी।

७. इरशाद नबवी (स.अ.व.) है "जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसे नुमाया (यानी खूबसूरत) करके (मर्दों को) दिखाता है।" *(तिर्मीज़ीए अब्बाबुर्रेज़ाए बाबे इशतशराफुश्शैतानुलमरात इज़ा खरजता)*

जिसका मतलब यह है कि चेहरा का पर्दा न करने वाली खातून को शैतान अपना आला कार बनाता है और वह औरत मर्दों के लिए दावत-ए-गुनाह का बाइस बनती है। सवाल यह है कि क्या गैर महरिम मर्दों के लिए दावत-ए-गुनाह का बाइस बनने वाली औरत गुनहगार न होगी? यकीनन होगी।

मज़्कूरा बाला अहादीस से न सिर्फ चेहरा का पर्दा साबित होता है बल्कि यह बात भी साबित होती है कि चेहरा का पर्दा न करने वाली खातून गुनहगार है।

सहाबियात का तर्ज़े अमल:

हिजाब के मज़्कूरा बाला अहकाम की वजह से अह्दे नबवी में तमाम सहाबियात चेहरे के पर्दे का सख्ती से एहतमाम करती थीं चन्द वाकियात पेशे खिदमत हैं।

१. हज़रत आयशा (र.त.अन्हा) फरमाती हैं कि हम (सहाबियात)

रसूलुल्लाह (स.अ.व.) के साथ एहराम में थीं जब सवार हमारे पास से गुज़रते तो हम अपनी चादरें अपने सरों से चेहरों पर लटका लेतीं और सवार गुज़र जाते तो चेहरे नंगे कर लेतीं। (अहमद अबूदाऊद इब्ने माजा)

२. हज़रत असमा बिन्ते अबी बकर (र.त.अन्हा) फरमाती हैं ''हम (यानी सहाबियात) हाले एहराम में (अजनबी) मर्दों से अपने चेहरे ढंक लेती थीं।'' (मुस्तदरक हाकिम)

यह तो मालूम है कि हज़रत असमा बिन्ते अबी बकर (र.त.अन्हा) अज़वाजे मुतहरात में से नहीं हैं जिसका मतलब यह है कि पर्दा का हुक्म अज़वाजे मुतहरात (र.त.अन्हुन्ना) के लिए खास नहीं बल्कि तमाम मुसलमान औरतों के लिए आम है। इसलिए तमाम सहाबियात (र.त.अन्हुन्ना) इसकी पाबन्दी करती थीं।

३. हज़रत आयशा (र.त.अन्हा) वाकिया-ए-इफ्क बयान करते हुए फरमाती हैं ''जब हज़रत सफवान बिन मुअतल (र.त.अ.) ने मुझे देख कर ﴿انا لله و انا اليه راجعون﴾ कहा तो मेरी आँख खुल गई और मैंने फौरन अपनी चादर से अपना चेहरा ढांप लिया।''(बुखारी) हालांकि सफवान बिन मुअतल (र.त.अ.) हिजाब का हुक्म नाज़िल होने से पहले हज़रत आयशा (र.त.अन्हा) को देख चुके थे इसके बावजूद हज़रत आयशा (र.त.अन्हा) ने हुक्म के मुताबिक अपना चेहरा छिपाना ज़रूरी समझा और चादर से उसे ढांप लिया।

४. हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश (र.त.अन्हा) की शादी के मौके पर आयते हिजाब नाज़िल हुई तो आप (स.अ.व.) ने अपने दस सालह पुराने खादिम-ए-खास हज़रत अनस (र.त.अ.) को इसी वक्त घर में दाखिल होने से रोक दिया और दरवाज़े पर पर्दा लटका दिया(बुखारी)

ज़ाहिर है दरवाज़े पर पर्दा लटकाने का मकसद चेहरा समेत सारे जिस्म को अजनबियों से छिपाना है।

५. एक औरत ने पर्दे के पीछे खड़े होकर रसूल अल्लाह (स.अ.व.) से

कुछ मांगा तो आप (स.अ.व.) ने पूछा "औरत का हाथ है या मर्द का?" उसने अर्ज़ किया "औरत का" आप (स.अ.व.) ने फरमाया "औरत का हाथ है तो कम अज़कम मेंहदी से रंग लिए होते।" *(अबूदाऊद)*

अगर चेहरा का पर्दा मतलूब नहीं तो फिर मर्द और औरत में फर्क करने के लिए हाथों पर मेंहदी लगाने की तालीम देने की क्या ज़रूरत थी? आप (स.अ.व.) फरमा देते सामने आकर बात करो।

६. हिजाब का हुक्म नाज़िल होने से पहले हज़रत आयशा (र.त.अन्हा) अपने रज़ाई चचा (अफलह) से पर्दा नहीं करती थीं हिजाब का हुक्म नाज़िल होने के बाद हज़रत आयशा (र.त.अन्हा) ने हज़रत अफलह (र.त.अ.) को घर से बाहर ही रोक दिया अन्दर आने की इजाज़त न दी, लेकिन बाद में जब रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने हज़रत आयशा (र.त.अन्हा) को बताया कि यह आप के चचा हैं इनसे पर्दा नहीं तब हज़रत आयशा (र.त.अन्हा) ने उन्हें अन्दर आने की इजाज़त दी। *(बुखारी व मुस्लिम)*

७. एक बार रसूलुल्लाह (स.अ.व.) ने कुल्ली का पानी हज़रत अबू मूसा (र.त.अ.) और हज़रत बेलाल (र.त.अ.) को अता फरमाया कि पी लें और चेहरे पर मल लें हज़रत उम्मे सलमा (र.त.अन्हा) पर्दे के पीछे से देख रही थीं कहने लगीं "इस मुतबर्रक पानी से अपनी मां के लिए भी कुछ छोड़ना।" *(बुखारी)*

८. हज़रत जाबिर (र.त.अ.) कहते हैं "मैंने एक लड़की से शादी करने का इरादा किया तो उसे देखने के लिए छिप गया और उसे देखने के बाद निकाह की तरफ रागिब हो गया और उससे शादी कर ली।" (सही अलजामे हदीस नम्बर-५०६) औरत को देखने के लिए सहाबी का छिपना वाज़ेह कर रहा है कि तमाम सहाबियात चेहरा का पर्दा किया करती थीं।

९. हज़रत उम्मे खल्लाद (र.त.अन्हा) अपने शहीद बेटे के बारे में रसूले अकरम (स.अ.व.) से खबर दरयाफ्त करने हाज़िर हुयीं तो अपने चेहरे

पर नकाब डाले हुए थीं। सहाबा-ए-किराम (र.त.अ.) ने देख कर कहा "इस अल्मनाक सूरतहाल में भी यह औरत निकाब ओढ़े हुए है।" हज़रत उम्मे खल्लाद (र.त.अन्हा) ने जवाब दिया "मुझ पर बेटे के कत्ल होने की मुसीबत आयी है मेरी शर्म व हया पर मुसीबत नहीं आयी।" (अबू दाऊद)

मज़कूरा बाला तमाम अहादीस इस बात का वाज़ेह सुबूत हैं कि अज़वाजे मुतहरात समेत तमाम सहाबियात हिजाब का सख्ती से एहतेमाम फरमाती थीं। हत्ता कि रसूले अकरम (स.अ.व.) से भी पर्दा किया करती थीं अगर पर्दा मुस्तहब ही था तो रसूलुल्लाह (स.अ.व.) से पर्दा का क्या मतलब?

पर्दा से मुतअल्लिक चन्द फतावा:

किताब व सुन्नत के मज़कूरा बाला दलायल और अहदे नबवी में सहाबियात के तआमुल को पेशेनज़र रखते हुए अहले इल्म ने चेहरे के पर्दे को वाजिब करार दिया है। अइम्मा-ए-इकराम (त.अ.) और मुफ्तियान एज़ाम के चन्द फतावा पेश खिदमत हैं:

१. अइम्मा-ए-अरबअ में से इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तीनों ने चेहरा और हथेलियां खोलने की मुतलेकन इजाज़त नहीं दी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फितना का खौफ न होने की शर्त के साथ चेहरा और हथेलियां खोलने की इजाज़त दी है चूंकि आदतन यह शर्त मफकूद है, लिहाज़ा फोकहाए हनफिया ने भी गैर महरिमों के सामने चेहरा और हथेलियां खालने की इजाज़त नहीं दी। *(मआरिफुल कुरआन अज़ मुफ्ती मुहम्मद शफी रह. जिल्द हफतुम सफा २१७)*

२. इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं "जलबाब के माना दोहरी

चादर के हैं जो सर समेत पूरे बदन को ढांपा ले और अबू ओबैदा के बकौल औरत यह चादर इस तरह ओढ़े कि आँख के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाहिर न हो।'' *(मजमुआ फतावा अज़ शैखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया जिल्द नम्बर २२ सफा-११०,१११)*

३. ''शरई हिजाब यह है कि चेहरा, सर के बाल और तमाम जिस्म ढांपे हुए हों क्योंकि औरत तमाम की तमाम पर्दा है और बाइसे फितना है।'' *(शैखुल इस्लाम अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रह० फतावा बराए ख्वातीन मतबूआ दारुस्सलाम अलरियाज़ सफा-२५४)*

४. ''शरई हिजाब का मतलब है औरत के लिए तमाम वाजिबुल सतर आज़ा-ए-बदन का ढांपना। इन आज़ा में सबसे मुकद्दम और उला चेहरे का पर्दा है इसलिए कि चेहरा फितना-ए-रगबत का महल है लिहाज़ा औरतों पर अजनबी लोगों से चेहरा का पर्दा करना वाजिब है।'' *(शेख मुहम्मद बिन सालेह असीमैन रह० फतावा बराए ख्वातीन सफा-२७६)*

५. ''औरत मुल्क के अन्दर या बाहर किसी भी जगह अजनबी लोगों के सामने चेहरा नंगा नहीं कर सकती।'' *(शेख इब्ने जिबरीन फतावा बराए ख्वातीन सफा-२७६)*

६. ना महरिम लोगों के सामने औरत का अपने चेहरे को छिपाना भी ज़रूरी है इसके वजूब पर सुन्नत में मुतअददिद दलायल मौजूद हैं।'' (डॉक्टर सालेह बिन फौज़ान ख्वातीन के मखसूस मसाइल मतबूआ मकतबा कुद्दूसिया लाहौर सफा-४७)

७. ''औरत का चेहरा पर्दा में शामिल है।'' *(फतावा सनाइया अज़ शैखुल हदीस हाफिज़ सनाउल्लाह मदनी जिल्द अव्वल सफा-८२१*

८. ''राजेह मज़हब यह है कि औरत को हर सूरत में अपना चेहरा गैर महरिम से छिपाना चाहिए ख्वाह घर के अन्दर हो या बाहर क्योंकि सारी खूबसूरती या बदसूरती चेहरा में होती है इसके मुकाबले में बाकी आज़ा की खूबसूरती या बदसूरती कलअदम है।'' *(फतावा अहले हदीस अज़ मुजतहदुलअस्र हाफिज़ अब्दुल्लाह मुहद्दिस रोपड़ी जिल्द दोम सफा-४६१)*

पर्दे को मुस्तहब करार देने वाले दलाएल का जाएज़ा:

आख़िर में हम उन दलायल का जाएज़ा लेना भी ज़रूरी समझते हैं जिनसे बाज़ अहले इल्म ने चेहरे का पर्दा न करने का जवाज़ साबित किया है। वह दलायल दर्जज़ैल हैं:

१. हज्जतुल वेदा के मौका पर हज़रत फज़ल बिन अब्बास रजी. की मौजुदगी में एक ख्वातीन कुछ पूछने के लिए खिदमते अकदस में हाज़िर हुई। फज़ल बिन अब्बास रजी. ने औरत की तरफ देखा तो आप (स.अ.व.) ने हज़रत फज़ल बिन अब्बास रजी. का चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया।'' *(तिर्मीज़ी, अबूदाऊद, इब्नेमाजा)*

इस वाकिए से इस्तेदलाल यह है कि अगर चेहरा का पर्दा वाजिब होता तो आप (स.अ.व.) हज़रत फज़ल बिन अब्बास रजी. का चेहरा फेरने के बजाए औरत को पर्दा करने का हुक्म देते, लेकिन ये इस्तेदलाल इसलिए दुरूस्त नहीं कि यह वाकिया मुज़दल्फा से मिना के रास्ते में पेश आया था। (मुलाहेज़ा हो तौजिहात हौलुल तबर्रिज असस्फूरा शेख मुहम्मद बिन सालेह अल असीमीन रह०) चूंकि उस वक्त वह ख्वातीन एहराम में थीं लिहाज़ा उसे पर्दा का हुक्म देना मुम्किन नहीं था।

२. हज़रत जाबिर रजी. फरमाते हैं रसूले अकरम (स.अ.व.) ने ईद के रोज़ औरतों से खिताब करते हुए फरमाया ''औरतो! सदका किया करो मैंने जहन्नम में ज़्यादातर औरतों को देखा है।'' औरतों में से एक सुर्खीमाइल सेयाह रंग के रूखसार वाली अदना दर्जा की औरत ने सवाल किया ''क्यों या रसूलुल्लाह (स.अ.व.)?'' आप (स.अ.व.) ने इरशाद फरमाया ''तुम खाविन्द की नाशुक्री करती हो और लानत ज़्यादा करती हो।'' *(मुस्लिम)*

इसतेदलाल यह है कि सवाल करने वाली औरत बेहिजाब थी लिहाज़ा चेहरा का पर्दा वाजिब नहीं यह जवाज़ दर्जज़ैल वजूहात की बिना पर दुरूस्त नहीं:

१. सवाल करने वाली अजमा वजे की खातून यानी लौंडी थी और लौंडी चेहरा के पर्दा से मुस्तसना है। २. हदीस में यह भी वज़ाहत नहीं कि वह खातून जवान थी या बूढ़ी। बूढ़ी खातून भी पर्दा से मुस्तसना है। ३. हिजाब का हुक्म ५ हिजरी में नाज़िल हुआ किसी हदीस में इस बात का स्पष्ट नहीं कि यह वाकेया ५ हिजरी से पहले का है या बाद का? लिहाज़ा इस वाकेया से चेहरा का पर्दा न करने का जवाज़ साबित नहीं होता।

३. एक खातून आप (स.अ.व.) की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ की "मैं अपनी जान आप (स.अ.व.) को हिबा करना चाहती हूं।" रसूले अकरम (स.अ.व.) ने उसकी तरफ देखा फिर आप (स.अ.व.) ने नज़र नीची फरमाली। जब उस औरत ने देखा आप (स.अ.व.) का इरादा नहीं तो वह बैठ गई। (बुखारी)

इस्तेदलाल यह है कि अगर चेहरा का पर्दा वाजिब होता तो वह खातून बे हिजाब क्यों आती? वजह ज़ाहिर है कि निकाह से कब्ल खातून को देखना मुस्तहब है और वह खातून तो हाज़िर ही इस मकसद के लिए हुई थी कि आप (स.अ.व.) उसे देख लें फिर वह हिजाब कर के क्यों आती? लिहाज़ा यह दलील भी वजहे जवाज़ नहीं बन सकती।

४. हज़रत आएशा रज़ी० फरमाती हैं कि हम नबी अकरम (स.अ.व.) के साथ सुबह की नमाज़ इस हालत में अदा करती कि हमारे सर चादर से ढंके होते फिर जब हम नमाज़ पढ़कर घरों को वापस लौटतीं तो अंधेरे की वजह से पहचानी नहीं जातीं। (बुखारी) इस्तेदलाल ये है कि चूंकि औरत चेहरे से ही पहचानी जाती है इसलिए अगर रोशनी होती तो पहचान ली जातीं। जिसका मतलब ये है कि वह चेहरा का पर्दा नहीं करती थीं। ये दलील इसलिए दुरूस्त नहीं कि अन्धेरे की वजह से सहाबियात (र.त.अन्हुमा) को पर्दा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। नमाज़ के बाद अगर सहाबियात (र.त.अन्हुमा) इतनी रोशनी में वापस

पलटती जिसमें वह पहचानी जाती, तो शरियत के हुक्म के मुताबिक वह ज़रूर पर्दा करती।

५. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी. के हवाला से एक रिवायत ये भी दी जाती है कि उन्होंने ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ तर्जुमा "मोमिन औरतें अपनी ज़ीनत ज़ाहिर न करें मगर जो अज़खुद ज़ाहिर हो जाए।" (सूरःनूर आयत ३१) की तफसीर में यह फ़रमाया है कि अज़खुद ज़ाहिर होने वाली चीज़ों में चेहरा, हथेलियां और अंगूठी शामिल हैं (इब्ने कसीर)

६. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी. की मज़कूरा बाला तफसीर इस लिए दलील नहीं बन सकती कि सूरःअहज़ाब की आयत ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ की तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी. ने ही यह फरमाया कि "मोमिन औरतों को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब वह किसी ज़रूरत के लिए अपने घरों से निकलें तो सर के ऊपर अपनी चादरें लटका कर अपने चेहरों को ढांप लें और सिर्फ एक आँख खुली रखें।" *(इब्ने कसीर)*

चूंकि सूरःनूर पहले नाज़िल हुई थी ओर सूरःअहज़ाब बाद में नाज़िल हुई, लिहाज़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का दूसरा कौल नासिख़ समझा जाऐगा और पहला कौल मंसूख़ समझा जाएगा। *(मुलाहिज़ा हो मजमूआ फतावा, अज़ इमाम इब्ने तैमियां रह० जिल्द २२ सफा ११४)*

यह है वह दलायल जिनकी बिना पर बाज़ अहले इल्म ने चेहरे के पर्दे को वाजिब के बजाए मुस्तहब करार दिया है लेकिन अम्र वाकिया यह है कि चेहरे के पर्दे को मुस्तहब करार देने के मुकाबले में वाजिब करार देने के दलाएल इस कदर क़वी हैं कि किताब व सुन्नत का मामूली सा इल्म रखने वाला शख़्स भी पर्दा को मुस्तहब करार देने के दलाएल से मुतमइन नहीं हो पाता। पस हासिले कलाम यह है कि चेहरे का पर्दा

वाजिब है और पर्दा न करने वाली ख़ातून गुनाह की मुर्तकिब होती है।

ज़रूरी वज़ाहत

यह बात क़ाबिले वज़ाहत है कि जिन काबिले एहतराम उलमा ए किराम ने चेहरा का पर्दा न करने की इजाज़त दी है उन्होंने भी ग़ैर मशरूत इजाज़त हरगिज़ नहीं दी मसलन

इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने चेहरा और हथेलियां को ग़ैर मुस्तसना करार दिया है सिर्फ इस शर्त के साथ कि फितने का डर न हो। *(मुलाहिज़ा हो मआरिफुल कुरआन जिल्द 9 सफा 297)*

इसी तरह मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ने भी चेहरा और हाथों को इस शर्त के साथ पर्दे से मुस्तसना करार दिया है कि चेहरा और हाथों पर ज़ीनत की कोई चीज़ न हो। *(मुलाहिज़ा हो हिजाबुलमरात अलमुस्लिमा सफा- 93)*

तवील अरसा तक बरमिंघम में मुकीम शैख महमूद अहमद मीर पूरी रहमतुल्लाह ने भी चेहरा और हाथों को पर्दे से खास ज़रूरत के तहत इस शर्त के साथ मुस्तसना करार दिया है कि फितने का डर न हो *(मुलाहिज़ा हो फतावा सिराते मुस्तकीम सफा 460 मतबूआ मकतबा कुद्दूसिया लाहौर)*

मुसलमान औरत को अपनी इसमत व इफ्फत महफूज़ रखने के लिए आजकल के मुआशरे में फितने दरपेश हैं या नहीं? इसका जवाब मौलाना मुफ्ती मुहम्मद शफी रह० ने अपनी तफसीर मआरिफुल कुरआन में दिया है जिसे हम यहां मिन व अन नकल कर रहे हैं।

"पर्दे के अहकाम जिन औरतों और मर्दों को दिए गए हैं इनमें औरतें तो अज़वाजे मुतहरात हैं जिनके दिलों को पाक व साफ रखने का अल्लाह ने खुद ज़िम्मा लिया है जिसका ज़िक्र इससे पहली आयत ﴿ليذهب عنكم الرجس اهل البيت﴾ में मुफस्सिल आ चुका है दूसरी तरफ जो मर्द मुखातिब हैं वह रसूल अल्लाह (स.अ.व.) के सहाबा-ए-इकराम

(रज़ी०) हैं जिनमें से बहुत से हज़रात का मुकाम फरिश्तों से भी आगे है लेकिन इन सब उमूर के होते हुए इनकी तहारत कल्ब और नफसानी वसाविस से बचने के लिए ज़रूरी समझा गया कि मर्द औरत के दरम्यान पर्दा कर दिया जाए आज कौन है जो अपने नफ्स को सहाब-ए-इकराम (रज़ी०) के नोफुसे पाक से और अपनी औरतों के नोफूस को अज़वाजे मुतहरात के नोफूस से ज़्यादा पाक होने का दावा कर सके और यह कहे कि हमारा इखतेलात औरतों के साथ किसी खराबी का मौजिब नहीं?"
(मआरिफुल कुरआन जिल्द हफ्तुम सफा-२००)

हकीकत यह है कि चेहरा का पर्दा न करना बज़ाते खुद एक ऐसा फितना है कि इस फितने का दरवाज़ा खुलते ही फहाशी, बेहयाई और उरयानी के हज़ारों फितने अज़ खुद होते चले जाते हैं जिनका तदारुक करना किसी सूरत मुम्किन नहीं रहता लिहाज़ा हर मोमिना को घर से बाहर हर सूरत में चेहरा का पर्दा करना चाहिए इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है।

اللهم أرنا الحق حقا وار زقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا احتنابه

हिजाब के बारे में एक नव मुस्लिमा के तअस्सुरात

यह हकीकत किसी अल्मिया से कम नहीं है कि बहुत सी गैर मुस्लिम ख्वातीन इस्लाम के निज़ामे अज़मत व इफ्फत, जिसकी बुनियाद हिजाब है, से मुतासिर होकर दायरे इस्लाम में दाखिल हो रही हैं जबकि खान्दानी मुस्लिम ख्वातीन हिजाब को मुस्तहब करार देकर इससे अपनी जान छूड़ाना चाहती हैं। ऐसी ख्वातीन के लिए जापानी नव मुस्लिमा खातून "खूला लकाता" के हिजाब के बारे में तअस्सूरात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। मुम्किन है इल्मी दलाएल के साथ-साथ हिजाब के अमली अफादियत रौशन खयाल हज़रात को अपने मुअक्किफ पर नज़्र सानी के लिए आमादा कर दें। इसी उम्मीद पर मोहतरमा खूला लकाता के तअस्सुरात को इन सफहात की ज़ीनत बनाया जा रहा है। खूला कहती हैं:

"कुबूले इस्लाम से कब्ल मैं चुस्त पैंट और मिनी स्कर्ट पहनती थी लेकिन अब मेरी लम्बी पोशाक ने मुझे मसरूर कर दिया। मुझे यूं लगा जैसे मैं एक शहज़ादी हूं, पहली मरतबा मैंने हिजाब पहनने के बाद अपने आपको पाकीज़ा और महफूज़ समझा, मुझे एहसास हुआ कि मैं अल्लाह सुबहानहु व तआला से ज़्यादा करीब हो गई हूं, मेरा हिजाब सिर्फ अल्लाह तआला की इताअत ही नहीं था बल्कि मेरे अकीदे का बर्मला इज़हार भी था। हिजाब पहनने वाली मुसलमान औरत जम्मे गफीर में भी काबिले शनाख्त होती है। (कि वह मुसलमान है) जबकि गैर मुस्लिम का अकीदा सिर्फ अल्फाज़ के ज़रीया ही मालूम हो सकता है।"

"मिनी स्कर्ट का मतलब यह है कि अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मुझे ले जा सकते हैं, हिजाब साफ तौर पर बताता है कि मैं आपके लिए ममनू हूं।"

"मौसमे-गर्मा में हर शख्स गर्मी महसूस करता है लेकिन मैंने हिजाब को अपने सर और गर्दन पर बराहे रास्त पड़ने वाली सूरज की किरणों से बचने का मुअस्सर ज़रीआ पाया।"

"पहले पहल मुझे हैरत होती थी कि मुस्लिम बहनें बुर्का के अन्दर कैसे आसानी से सांस ले लेती हैं, इसका इंहेसार आदत पर है जब औरत इसकी आदि हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती। पहली बार मैंने निकाब लगाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्तेहाई हैरत अंगेज़, ऐसा महसूस हुआ गोया मैं एक अहम शखसियत हूं मुझे एक ऐसे शाहकार की मालिका होने का ऐहसास हुआ जो अपनी पोशीदा मुसर्रतो से लुत्फअंदोज़ हो मेरे पास एक खज़ाना था जिसके बारे में किसी दूसरे को मालूम न था, ऐसा खज़ाना जिसे अजनबियों को देखने की इजाज़त न थी।"

"जब मैंने सर्दियों का बुर्का बनाया तो इसमें आँखों का बारीक निकाब भी शमिल कर लिया अब मेरा पर्दा मुकम्मल था। इसमें मुझे यक गुना आराम मिला अब मुझे भीड़ में कोई परेशानी न थी। मुझे महसूस

हुआ कि मैं मर्दों के लिए गैर मरई हो गई हूं। आँखों के पर्दे से कब्ल मुझे उस वक्त बड़ी परेशानी होती थी जब इत्तेफाकिया तौर पर मेरी नज़रें किसी मर्द की नज़र से टकराती थीं। इस नये नकाब ने सेयाह ऐनक की तरह मुझे अजनबियों की घूरती निगाहों से महफूज़ कर दिया।''

आखिरी गुज़ारिशः

हिजाब के हवाले से शरई एहकाम और एक नव मुस्लिमा के तअस्सुरात बयान करने के बाद हम अहले ईमान की तवज्जह इस बात की तरफ दिलाना भी ज़रूरी समझते हैं कि आज कुफ्फार और मुशरेकीन बेहयाई, फहाशी, और उरयानी पर मबनी अपनी गंदी और गलीज़ तहज़ीब ज़बरदस्ती हर जगह मुसलमानों पर मुसल्लत करना चाहते हैं ताकि मुसलमान ममालिक में भी खान्दानी निज़ाम इसी तरह टूट फूट का शिकार हो जाए जिस तरह इनके अपने ममालिक में तबाह हो चुका है। अपने इन मज़मूम मकासिद के हुसूल के लिए कुफ्फार ने बड़ी अय्यारी व मक्कारी से ''रौशन खयाली'' और ''एतेदाल पसंदी'' के नाम पर मुस्लिम ममालिक में बे दीन और मुल्हिद लोगों का एक ऐसा गिरोह पैदा कर लिया है जो इनके अज़ाएम की राह हमवार करने में इनका ममद और मुआविन है। अहले ईमान को पूरी कुव्वत के साथ इस ''रौशन खयाली'' और ''ऐतेदाल पसंदी'' की मज़ाहमत करनी चाहिए और इसके साथ-साथ शरीअत-ए-इस्लामिया के एहकाम पर पूरी यकसूई और मज़बूती से अमल पैरा रहना चाहिए। अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमें मरते दम तक ईमान पर साबित कदम रखे।

اللهم نور قلوبنا بنور الایمان و ثبتنا علی الاسلام۔ آمین!

وصلی الله علی نبینا محمد واله و صحبه اجمعین

☆☆☆☆☆☆